श्री हरी सिंह : मैं रेल मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन की जांच के अंदर ऐसा पाया गया है कि कुछ राजनैतिक पार्टियों के कार्यकर्ता रेलवे में इस तरह के अपराध करने के लिए बहुत ही क्रियाशील हैं ?

श्री बूटा सिंह : ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है ।

रेल अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवावधि का बढ़ाया जाना

*108. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुए सरकार ने यह फ़ैसला किया है कि सेवा-निवृत्त होने वाले रेल अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवावधि को बढ़ाया न जाये :

(ख) क्या इसके बावजूद रेल अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवावधि गत एक वर्ष के दौरान बढ़ाई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BUTA SINGH): (a) and (b). The extension in service to Railway Officers and employees beyond the age of superannuation has been resorted to very sparingly in specially deserving cases and the impact of such extensions on the general un-employment in the country is negligible.

(c) Officers: 28.

Employees: 35.

श्री रामावतार शास्त्री : क्या डिपार्टमेंट आफ़ परसोनेल एंड ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफ़ारम्स ने जिन की आयु रिटायरमेंट की पूरी हो चुकी या जिन की पुनर्नियुक्ति की बात उठे उन के बारे में कोई सर्कुलर तमाम विभागों को जारी किया है ? यदि हां, तो वह सर्कुलर रेलवे प्रशासन को मिला है या नहीं ? अगर मिला है तो उन में कौन सी बात इन दोनों बातों के बारे में कही गई है ?

श्री बूटा सिंह : इस के बारे में गृह मंत्रालय से और जिन विभागों का माननीय सदस्य ने ज़िक्र किया है उन के यहां से हमारे यहां सर्कुलर भी मिले हैं और मंत्री जी का आदेश भी इस के बारे में नवम्बर, 1968 का है। जैसे मैंने मूल प्रश्न के जवाब में कहा है ऐसी जगहों पर जहां कि बिलकुल ही वांछनीय हो वहीं बड़ी मुश्किल से, स्पेयरिंग्ली यह करते हैं। यह प्रैक्टिस नहीं है। हम इस आदेश का पूरी तरह पालन कर रहे हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : उस सर्कुलर में एक्सटेंशन और री-अप्वाइंटमेंट के बारे में प्रधान मंत्री ने जो कहा है कि वह मैं पढ़ कर सुनाता हूं और तब उस से निकलने वाला प्रश्न रखूंगा।

"In such cases it should be possible for Department to consider alternative arrangements well in advance. If necessary a person could be posted as under-study for some time. Re-employment and extensions of service should be permitted only in exceptional cases. Cabinet Secretary might stress this point to various Ministries/departments."

मैं इस रोशनी में यह जानना चाहता हूं कि जिन 28 अधिकारियों और 35 कर्मचारियों की आयु काम करने की समाप्त हो गई थी, जो रिटायर होने वाले थे उन को सर्विस आप ने दे दी तो क्या इस मापदण्ड पर यह खरा उतरता है जिसे प्रधान मंत्री ने यहां बताया

हुई हैं, क्यों कि 9431 ही टेक्निकल परसोनेल के लिए यह है लेकिन 28 और 35 कर्मचारी क्या इस मापदण्ड में आते हैं ?

अगर नहीं आते हैं तो उन के मामले में इस का उल्लंघन कैसे किया गया ?

रेल मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : प्रधान मंत्री जी का जो आदेश होता है उस का हम अक्षरशः बड़ी कड़ाई के साथ पालन करते हैं और बराबर पालन करते रहेंगे। इस मामले में भी उनका जो आदेश रहा है उसका पालन किया गया। कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि कोई आदमी कोई खास काम कर रहा है और इसके रिटायर होने की वजह से उसमें बाधा पड़ सकती है इसलिए उनको कुछ दिनों के लिए टाइम दे दिया जाता है। जो लोग स्ट्राइक के पीरियड में हमारे साथ काम करते रहे हैं कुछ उन लोगों को भी हमने एक्सटेंशन दिया है। कभी डिपार्टमेन्ट की आवश्यकता के अलावा भी इस बात की जरूरत हो सकती है कि हमको ठीक आदमी नहीं मिल रहा है इसलिए कुछ दिनों के लिए किसी को चाहे एम्पलायमेन्ट या एक्सटेंशन दे दिया जाता है। माननीय सदस्य को एक बात मालूम होनी चाहिए कि रेलवे में 17–18 लाख आदमी काम करते हैं जिनमें केवल 28 या 35 आदमियों को एम्पलायमेन्ट या एक्सटेंशन दिया गया है तो इससे कोई बादल टूट कर नहीं गिर पड़े।

श्री रामावतार शास्त्री : रिएम्पलायमेन्ट तो अलग होगा पुनर्नियुक्ति की संख्या तो आपने बताई नहीं, यह तो सिर्फ जिनको सर्विस आपने एक्सटेंड की है उनका नम्बर दिया है। अगर आप वह भी बताते तो अन्दाज लगता कि नियमों के मुताबिक आपने किया है या कुछ पक्षपात भी हुआ है।

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं कहना चाहूंगा कि जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब मंत्री जी ने दे दिया है। पक्षपात के सम्बन्ध में मैं कह सकता हूं कि कोई पक्षपात नहीं हुआ है लेकिन माननीय सदस्य के पास अगर कोई सूचना हो तो वह दें उसकी हम जांच करेंगे। (व्यवधान)

श्री डी० एन० तिवारी : स्ट्राइक के बाद रेलवे प्रशासन में लायल एम्पलाइज को चार बेनिफिटस देने के लिए कहा गया था—एक लड़के को बहाली की जायेगी, दूसरे कुछ इनाम दिया जायेगा, तीसरे एक्सटेंशन देंगे और चौथे इंक्रीमेन्ट दिया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं जितने लोगों ने एक्सटेंशन के लिए आवेदन पत्र दिया क्या सभी का एक्सटेंशन हो गया या किसी को छोड़ भी दिया गया ? कुछ लोग थे जिन्होंने दूसरे बेनिफिट्स नहीं लिए, केवल एक्सटेंशन चाहा था, इस प्रकार के लोग हैं जो अब रिटायर कर रहे हैं तो उनके लिए आप क्या करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी : यह ऐसा प्रश्न है जिस के लिए खास नोटिस दी जाये तभी उसको देखकर लिस्ट दी जा सकती है। लेकिन जहां तक मुझे स्मरण है सभी लोगों को एक्सटेंशन नहीं दिया गया है। डिज-र्विंग केसेज को एक्सटेंशन दिया गया है। दूसरों को कुछ रिवार्ड दे दिया होगा या इंक्रीमेन्ट दे दिया होगा। फिर भी ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं क्योंकि करीब आठ लाख आदमी स्ट्राइक के जमाने में लायल थे और उन सभी आदमियों को कोई न कोई सहूलियत मिल गई है—ऐसा मैं नहीं कह सकता। यदि आप ऐसे कोई केसेज भेजेंगे तो हम देख लेंगे।

श्री मूल चन्द डागा : जो एक सिद्धांत रखा गया है उस के आधार पर आप बताने का कष्ट करें कि आप के रेलवे विभाग में रिटायरिंग एज के बाद कुल कितने आदमी नौकरी चाहते हैं और उनकी सेवायें इंडिस्पें-सेबिल हैं ?

श्री बूटा सिंह : जैसा मैं ने कहा जिन को एक्सटेंशन दिया गया है . . .

श्री मूलचन्द डागा : यह तो एक साल का ही है ।

श्री बूटा सिंह : एक साल का ही पूछा गया था ।

श्री मूलचन्द डागा : आज कुल कितने आदमी आपके विभाग में इस तरह के हैं ?

श्री बूटा सिंह : इसके लिए सूचना चाहिए । यदि अध्यक्ष महोदय आज्ञा देंगे तो हम आंकड़े इकट्ठा कर के दे देंगे ।

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: The Railway Minister has stated that extension has been given in the case of 33 employees. Out of the total number of employees of 17 lakhs, as kindly stated by the Minister, how many employees of classes IV, III and II applied for extension and in how many cases the railway authorities considered their applications favourably or they are till under consideration?

SHRI BUTA SINGH: There are norms laid and according to those norms, immediately after the strike and before 31st December 1975, all those appications which were received were duly processed and considered and those who were deserving have been given extension.

MR. SPEAKER: He wanted to know how many belong to Class III, how many to Class IV, etc.

श्री बूटा सिंह : यह तो 1976 के केसेज को ही कंसीडर किया गया था ।

If he wants general informaion, I can give him the figure.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: If he does not have the information ready he may say so and he can give it later.

श्री सरजू पांडे : माननीय मंत्री जी ने बताया है कि रेलवे में 28 क्लास वन अफसरों को एक्सटेंशन दिया गया है । दूसरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि उसके लिए सूचना चाहिए । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि राजनीतिक आधार पर यह एक्सटेंशन दिए गए हैं ?

श्री बूटा सिंह : पहले तो मैं यह साफ कर दूं कि 28 केवल क्लास वन के ही नहीं हैं, क्लास टू के भी उस में हैं । दूसरे हमारे पास कोई ऐसी सूचना नहीं जिस से यह पता चल सके कि इस मामले में किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया गया है ।

Indian Assistance for Oil Exploration in Vietnam

+

*110. SHRI C. K CHANDRAPPAN·
SHRI B. S. BHAURA:

Will the Minister of PETROLEUM be pleased to state:

(a) whether India has offered assistance to Vietnam for offshore oil exploration and development of oil fields in that country; and

(b) if so, the facts thereof?

THE MINISTER OF PETROLEUM (SHRI K D. MALAVIYA): (a) and (b) India has not offered assistance to Vietnam for offshore oil exploration and development of oil fields in that country. However India has offered facilities to train Vietnamese personnel in different branches of oil industry in Institutes located in India or by sending Indian experts to Vietnam.